FORM No.III — **APP Crll**

(फर्दअहकाम नियम 26)

नाम: धारासिंह — कलेक्टर — मुकाम: बसवा — बनाम: राज० सरकार

दफा: 128 एल.आर. मिस — नं. 20 — सन 2024

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.06.2024	प्रश्नगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री धारासिंह पुत्र श्री कंचन जाति गुर्जर निवासी धपावन कलां तहसील बसवा जरिये एड. श्री नवीन कुमार गुर्जर विरूद्ध अप्रार्थीगण राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा के अंतर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का पेश किया है। हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर, अप्रार्थीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए.डी.जारी होकर पत्रावली दिनांक 10.07.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	
10/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकालों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 22/7/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) हस्ताक्षर रीडर	
22/7/24	पत्रावली पेश हुई। तामील अप्रार्थीगण प्राप्त, इंतजार उपस्थिति/बहस हेतु आ. तारीख 6.8.24 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
6/8/24	पत्रावली पेश हुई। इंतजार तामील/उपस्थिति में आ.ता. 27-8-24 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
27/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकालो द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख [illegible] हो गई गत आदेश की पालना मे दिनांक 29/8/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) हस्ताक्षर रीडर	
9 8/24	पत्रावली पेश हुई, अप्रार्थी 2 के तामील उपरान्त अनुपस्थित रहने से Exparte की जाती है। पत्रावली में बहस प्रार्थी सुनी गई, निर्णय पृथक से लिखा गया, जो शामिल मिसल होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 12:57:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला–दौसा

प्रकरण संख्या विविध 20/2024
प्रकरण रज्जु दिनांक : 19.6.2024
निर्णय दिनांक :– 29.08.2024

प्रकरण :– वास्ते 128 एल.आर.एक्ट पत्थरगढी हेतु

प्रकरण का उनवान

धारासिंह पुत्र कंचन जाति गुर्जर निवासी धपावन कलां तहसील बसवा जिला–दौसा

(प्रार्थी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा जिला–दौसा
2. सरपंच, ग्राम पंचायत कौलाना पंचायत समिति बसवा

(अप्रार्थीगण)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 29.8.2024

उपस्थिति :–1. प्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री नवीन कुमार

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थी ने इस आशय का एक प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 128 एलआर एक्ट वास्ते पत्थरगढी हेतु पेश किया है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या नया 85 के आराजी खसरा नंबर 101 कुल किता 1 कुल रकबा 0.10 हैक्टयर वाके ग्राम धपावन कला पटवार हलका कौलाना में स्थित है । प्रार्थी की खातेदारी भूमि के स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण काश्त के समय सीमाओं को लेकर विवाद होने की संभावना रहती है, स्थाई सीमा चिन्ह आवंटित नहीं होने के कारण प्रार्थी अपनी आराजियात की स्थाई सुरक्षा दीवार भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण प्रार्थी की फसल को आवारा जानवर नष्ठ कर देते हैं, जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान उठाना पडता है, इस कारण प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी करवाया जाना कानूनन व इंसाफन न्यायोचित है, इस कारण पत्थरगढी प्रा.पत्र पेश है, प्रार्थी द्वारा भूमि खसरा नंबर 101 के उत्तर दिशा में स्थित भूमि खसरा नंबर 102 जो कि प्रार्थी संख्या 1 की भूमि है तथा पश्चिमी दिशा में सिथत खसरा नंबर 226 आबादी की भूमि स्थित है, जो अप्रार्थी संख्या 2 के स्वामित्व की भूमि है । पूर्व दिशा में खसरा नंबर 103 प्रार्थी के स्वयं के कब्जे काश्त की भूमि है तथा दक्षिण दिशा में खसरा नंबर 506/498 चरागाह भूमि है जो अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि है। [illegible] दिनांक 14.6.2024 को तहसीलदार बसवा के आदेश कमांक 2071 दिनांक 6.[illegible]2024 की पालना में खसरा नंबर 101 ग्राम धपावन कला का सीमाज्ञान किया जा चुका है । [illegible] निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नंबर 101 रकबा 0.10 हैक्टयर ग्राम धपावन कला पटवार हलका कौलाना की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 14.6.20[illegible] व राजस्व रिकोर्ड मुताबिक करने के आदेश प्रदान करें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 12:57:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रा.पत्र वास्ते पत्थरगढी प्राप्त होने पर, न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रकरण दर्ज रजिस्टर करके, अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये ।

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

प्रकरण के साथ प्रस्तुत प्रश्नगत भूमि की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 14.6.2024 का अवलोकन किया गया । उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हलका कौलाना द्वारा अंकन किया गया है कि "आज दिनांक 14.6.2024 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय बसवा के आदेश कमांक भू.अ./2024/2071 दिनांक 6.6.2024 की पालना में ग्राम धपावनकला के आराजी खसरा नंबर 101 किता 1 रकबा 0.10 हैक्टयर में सीमाज्ञान में लिये मौके पर पहुँची मौके पर धारासिंह पुत्र कंचन जाति गुर्जर उपस्थित मिले । सीमाज्ञान के लिये राजस्व रिकोर्ड से मिलान किया गया एवं मुस्तकिल बिन्दु खसरा नंबर 112, 233 किस्म गै. मु.चाह को आधार मानकर उक्त खसरा नंबर 101 के सभी सीमाओं के चिन्ह कायम किये गये व निशानात लगावाये गये । मौका पर्चा बनाया गया । सीमाज्ञान से प्रार्थी संतुष्ट हुए, उपस्थित हाजरीन को मौका पर्चा पढकर सुनाया गया व हस्ताक्षर करवाये गये ।

प्रकरण की तामील के उपरांत भी, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र 128 के संबंध में कोई जवाब या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है ।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं वहस पर मनन किया गया । बाद पत्रावली अवलोकन एवं मनन के हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी द्वारा जिस आराजी की पत्थरगढी किये जाने हेतु प्रा.पत्र पेश किया है उसमें से यदि भूमि की पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं तो प्रार्थी को सीमा विवाद से सुरक्षा प्राप्त होगी । ऐसी दशा में प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत पत्थरगढी प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है ।

निर्णय

लिहाजा आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की आराजी ग्राम धपावन कला के खसरा नंबरान 101 कुल किता 1 रकबा 0.10 हैक्टयर भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही की जावे एवं यदि शांति व्यवस्था के लिहाज से पत्थरगढी कार्यवाही के दौरान पुलिस इमदाद अपेक्षित हो तो संबंधित थानाधिकारी से वांछित पुलिस इमदाद लिया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

(रेखा मीना)
उपखण्ड अधिकारी,बसवा
जिला दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 12:57:40 IST
Reason: SelfAttested